इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 **द्वारा प्रमाणित)**

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड : **12** **अंक संख्या**: **1** **अगस्त, 2019** **पृष्ठों की संख्या** 16

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ----------4
विनियामकों के कथन ----------5
नयी नियुक्तियाँ----------6
उत्पाद एवं गठजोड़ ----------6
विदेशी मुद्रा ----------7
शब्दावली ----------8
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ----------8
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------8
संस्थान समाचार ----------9
नयी पहलकदमी ----------12
प्रशिक्षण ----------13
बाजार की खबरें ----------15

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने मूल निवेश फ़र्मों पर कार्य दल का गठन किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने मूल निवेश कंपनियों (CICs) पर लागू होने वाले विनियामक दिशानिर्देशों और पर्यवेक्षी ढ़ाचे का पुनरीक्षण करने हेतु एक कार्य दल का गठन किया है, क्योंकि वर्तमान ढांचा मूल निवेश कंपनियों में इस समय विद्यमान स्थिति को देखते हुए जटिल कारपोरेट अभिशासन अवसंरचनाओं का संचालन करने हेतु पर्याप्त नहीं है। मूल निवेश कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की नियंत्रक कंपनियाँ होती हैं। उक्त कार्य दल मूल निवेश कंपनियों के लिए विद्यमान विनियामक ढांचे की पर्याप्तता, प्रभावोत्पादकता एवं प्रभावशीलता की दृष्टि से जांच करेगा तथा उसमें परिवर्तनों का सुझाव देगा। वह मूल निवेश कंपनियों के पंजीकरण के प्रति भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दृष्टिकोण की उपयुक्तता का भी पुनरीक्षण करेगा और उनके लिए कारपोरेट अभिशासन एवं प्रकटन संबंधी अपेक्षाओ को सुदृढ़ बनाने के उपाय सुझाएगा। उक्त कार्य दल मूल निवेश कंपनियों पर भारतीय रिजर्व बैंक की परोक्ष निगरानी (Off-sight surveillance) और प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण (On-sight supervision) को बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपायों की सलाह भी देगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों के लिए बैंकों के चलनिधि स्रोत खोले

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और आवास वित्त कंपनियों (HFCs) से आस्तियां खरीदने एवं उन्हें पुन: उधार देने हेतु बैंकों के लिए 1,34,000 करोड़

रुपए की अतिरिक्त चलनिधि सुविधा की घोषणा की है। यह सुविधा अनिवार्य सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) आवश्यकता के भीतर चलनिधि व्याप्ति अनुपात हेतु चलनिधि प्राप्त करने (FALLCR) की सुविधा के भीतर उपलब्ध होगी। बैंकों को तत्काल प्रभाव से चलनिधि व्याप्ति अनुपात का परिकलन करने के उद्देश्य से उनकी (बैंक की) निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) के 1 % की चलनिधि व्याप्ति अनुपात हेतु चलनिधि प्राप्ति (FALLCR) में वृद्धि को उस तिथि को उनकी बहियों में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों के पास बकाया ऋण की रकम के अतिरिक्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों को वृद्धिशील बकाया ऋण की सीमा तक उच्च गुणवत्ता वाली अनिरुद्ध (liquid) आस्ति (HQLA) के स्तर 1 के रूप में परिकलित करने की अनुमति होगी।

भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (IBBI) ने निवारण व्यावसायिकों के संबंध में आयु सीमा लागू की

निवारण व्यावसायिक 70 वर्ष की आयु पर पहुँच जाने पर दिवाला निवारण एजेंसी (IPA) से 'समनुदेशन प्राधिकरण' (authorization for assignment) प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। 1 जनवरी, 2020 से दिवाला व्यावसायिक इस प्राधिकरण के अभाव में समनुदेशन का कार्य नहीं कर सकते। यह आयु सीमा निवारण व्यावसायिकों के कार्य से संबन्धित दबाव को ध्यान में रखते हुये लागू की गई है। हालांकि, उनके दिवाला व्यावसायिक संस्था/कंपनी (IPE) के पास नियोजित रहने के लिए आयु संबंधी कोई रोक नहीं है।

कोई व्यक्ति रोजगार में लगे होने के दौरान भी दिवाला व्यावसायिक के रूप में पंजीकरण करा सकता है, किन्तु 'समनुदेशन प्राधिकरण' प्राप्त करने के उद्देश्य से उसके लिए रोजगार छोडना आवश्यक होगा। इसके अलावा, दिवाला व्यावसायिक अपने किसी भी रिश्तेदार या संबन्धित पक्षकार को कारपोरेट दिवाला निवारण प्रक्रिया (CIRP) से संबन्धित किसी भी ज़िम्मेदारी के लिए अथवा उससे संबन्धित किसी भी कार्य के लिए रख या नियुक्त नहीं कर सकते। यह प्रतिबंध ऐसी प्रक्रिया से उसके विलग होने की तिथि से 12 माह की अवधि के लिए लागू रहेगा। वे कारपोरेट देनदार की सहायता करने वाले (10% से अधिक के मताधिकार वाले) लेनदारों के पास भी नियोजित नहीं हो सकते।

भारतीय रिजर्व बैंक ने नागरिकों के विश्वास को सुदृढ़ बनाने वाला ढांचा अपनाया

भारतीय रिजर्व बैंक का उत्कर्ष नामक मध्यावधिक रणनीति ढांचा वर्ष 2022 तक बैंकों की आंतरिक कार्यप्रणाली का मार्गदर्शन करेगा। उक्त ढांचा भारतीय रिजर्व बैंक के अधिदेश में उत्कृष्टता लाने और नागरिकों एवं अन्य संस्थाओं के विश्वास को सुदृढ़ करने की दिशा में केन्द्रित होगा। इस ढ़ाचे में भारतीय रिजर्व बैंक के पाँच मुख्य सिद्धांतों का निम्नानुसार उल्लेख किया गया है: रुपए के आंतरिक एवं बाहरी मूल्य के प्रति विश्वास पैदा करना; वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और उपभोक्ता संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु उसके विस्तार-क्षेत्र में आने वाले बाज़ारों तथा संस्थाओं को विनियमित करने के लिए स्थूल-आर्थिक स्थिरता में योगदान करना; वित्तीय एवं भुगतान प्रणालियों की ईमानदारी, कार्य-कुशलता, अंतर्विष्टता एवं स्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना; मुद्रा का कुशल प्रबंधन तथा सरकार और बैंकों को बैंकिंग सेवाएँ सुनिश्चित करना और देश के संतुलित, न्यायसंगत एवं वहनीय आर्थिक विकास को समर्थन प्रदान करना।

भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड : परिसमापन प्रक्रिया हर हाल में एक वर्ष में पूरी की जानी चाहिए

भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (IBBI) ने परिसमापन प्रक्रिया को उसके प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर पूरी करवाने के लिए उसकी प्रक्रिया को बदल दिया है। इसके अतिरिक्त, हितधारकों के बीच समझौता परिसमापन आदेश के 90 दिनों के भीतर हर हाल में हो जाना चाहिए।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने कंपनियों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विदेशी उधार से संबन्धित मानदंड शिथिल किए

संशोधित बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने एसएमए 2 (विशेष उल्लेख खाता 2) के रूप में वर्गीकृत कारपोरेट विदेशी

मुद्रा निधियाँ जुटाने तथा उससे प्राप्त होने वाली राशियों का उपयोग उनके घरेलू ऋणदाताओं के साथ एकबारगी अशोध्य ऋण निपटारा करने की अनुमति दे दी है। भारतीय बैंक भी इन ऋणों को विदेशों में स्थित विदेशी ऋणदाताओं को बेच सकते हैं।

कंपनियों को पूंजीगत व्यय के लिए घरेलू स्तर पर लिए गए रुपया ऋण की चुकौती करने हेतु 7 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता के साथ बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटाने की अनुमति भी दे दी गई है। पूंजीगत व्यय के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए उधार राशियों के मामले में तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा पुन: उधार दिये जाने के मामले में उक्त बाह्य वाणिज्यिक उधार की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि 10 वर्ष होनी आवश्यक है।

विनियामकों के कथन

वृद्धि के लिए विवेकसम्मत नीतियाँ महत्वपूर्ण, आगामी दौर अनिश्चित: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने कहा है कि "वैश्विक अर्थव्यवस्था एक ऐसे नए और अनिश्चित चरण की ओर प्रस्थान कर रही है जिसमें दबावग्रस्त व्यापारिक समझौता-वार्ता के वातावरण में समाधान निकलना अधिक कठिन होता जा रहा है जिससे भू-राजनीतिक (geo-political) टकराव पैदा हो रहे हैं, नीतिगत अवसर सीमित होते जा रहे हैं और ऋण के स्तर बढ़ते जा रहे हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि "यह महत्वपूर्ण है कि मौद्रिक एवं राजकोषीय प्राधिकरणों की नीतियाँ अच्छी तरह अंशांकित हों, ताकि उनसे लीवर लाभ (leverage) के और अधिक जमावड़े तथा आस्तियों के मूल्य में बुलबुलों के बिना वृद्धि को समर्थन प्राप्त हो। वृद्धि के लिए स्थूल-आर्थिक स्थिरता के साथ विवेकसंगत नीतियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। वैश्विक स्तर पर हमारे लिए नीतिगत अंतराल पर ध्यान केन्द्रित रखने, उसका समझदारीपूर्वक उपयोग करने तथा उसके साथ ही साथ उत्पादकता नवोन्मेष एवं नौकरी सृजन बढ़ाने के लिए ढांचागत सुधार लाने की आवश्यकता है।"

संयुक्त राज्य अमेरिका को एक सुस्पष्ट संकेत में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री

शक्तिकान्त दास ने कहा कि किसी एक देश द्वारा दूसरे देश के विरुद्ध मुद्रा में हेरफेर के आरोपों से द्विपक्षीय आधिपत्य का प्रदर्शन होता है तथा व्यवस्थित विनिमय दरें सुनिश्चित करना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं का उत्तरदायित्व है न कि अलग-अलग राष्ट्रों का। उन्होंने यह सुझाव दिया कि सम्पूर्ण विश्व में मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों के बीच अपेक्षाकृत घनिष्ठ सहयोग वृद्धि में मंदी के प्रभाव को शमित कर देगा।

नई नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम/संगठन
श्री राजीव कुमार	वित्तीय सेवा विभाग (DFS) में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त
सुश्री अंशुला कान्त	विश्व बैंक की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त
श्री कर्णम शेखर	इंडियन ओवसीज बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गठजोड़ हुआ	उद्देश्य
भारतीय स्टेट बैंक (SBI)	राष्ट्रीय निवेश और मूलभूत सुविधा निधि (NIIF)	मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाना।
कर्नाटक बैंक	वसूल एसओ एफटी	अनर्जक आस्ति वसूली प्रक्रिया को डिजिटल बनाने हेतु।
बैंक आफ बड़ौदा	पाइन लैब्स	बिक्री केंद्र आधारित समीकृत मासिक किस्त समाधानों के जरिये बैंक के डेबिट कार्ड धारकों और व्यापारी खंड को बिक्री केंद्र -सम्बद्ध डिजिटल लेनदेनों पर आधारित फिंटेक उधार समाधानों के रूप में वहनीय समाधान उपलब्ध कराना।
बैंक आफ बड़ौदा	क्रिसिल लिमिटेड	सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम खंड में उसके मौजूदा एवं संभावित ग्राहकों की ऋण गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	26 जुलाई, 2019 के दिन बिलियन रुपए	26 जुलाई, 2019 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	29,620.2	4,29,649.3
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	27,531.5	3,99,357.3
1.2 सोना	1,746.2	25,330.0
1.3 विशेष आहरण अधिकार	99.6	1,444.2
1.4 अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	242.9	3,517.8

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

अगस्त, 2019 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	2.04300	1.85900	1.79600	1.77080	1.77890
जीबीपी	0.68450	0.6825	0.6739	0.687	0.7090
यूरो	-0.41000	-0.433	-0.397	-0.374	-0.313
जापानी येन	-0.05130	-0.081	-0.093	-0.094	-0.093
कनाडाई डालर	2.10000	1.818	1.783	1.771	1.770
आस्ट्रेलियाई डालर	0.93700	0.860	0.870	0.990	1.050
स्विस फ्रैंक	-0.77750	-0.828	-0.811	-0.774	-0.712
डैनिश क्रोन	-0.31550	-0.3193	-0.3000	-0.2583	-0.2015
न्यूजीलैंड डालर	1.33000	1.246	1.236	1.261	1.311
स्वीडिश क्रोन	-0.11700	-0.135	-0.118	-0.070	-0.005
सिंगापुर डालर	1.68800	1.655	1.645	1.650	1.670
हांगकांग डालर	2.10000	1.940	1.880	1.860	1.870
म्यामार	3.37500	3.350	3.380	3.410	3.430

शब्दावली

मूल निवेश कम्पनियाँ (CICs)

मूल निवेश कम्पनियाँ वे कम्पनियाँ होती हैं जिन्होंने समूह कंपनियों में हित रखने के लिए अपनी आस्तियां मुख्यत: शेयरों में निवेश के रूप में किन्तु क्रय-विक्रय के लिए नहीं रखी हैं और इसके अतिरिक्त वे कोई अन्य वित्तीय कार्यकलाप भी नहीं करतीं। इन कम्पनियों ने अपनी आस्तियों के न्यूनतम 90% अंश या तो इक्विटी के रूप में या फिर अधिमानी शेयरों अथवा परिवर्तनीय बाँड़ों या ऋणों के रूप में समूह के प्रतिष्ठानों में लगा रखे हैं।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

मानक विचलन

मानक विचलन इसकी माप करता है कि किस प्रकार बिखरी हुई संख्यायें किसी निश्चित डाटा समुच्चय के एक औसत मूल्य से होती हैं। इसकी गणना किसी ऐसे प्रसरण, जो अपने आप में माध्य वर्गाकार अंतरों का औसत होता है, का वर्गमूल निकाल कर की जाती है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अगस्त, 2019 के प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों हेतु परीक्षोंपरांत कक्षा में प्रशिक्षण	19 से 21 अगस्त, 2019 तक	मुंबई
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों हेतु परीक्षोंपरांत कक्षा में प्रशिक्षण	19 से 21 अगस्त, 2019 तक	चेन्नै
प्रमाणित बैंक प्रशिक्षक हेतु परीक्षोंपरांत भौतिक कक्षा में प्रशिक्षण	25 से 29 अगस्त, 2019 तक	मुंबई
वित्तीय सेवाओं में जोखिम पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम हेतु परीक्षोंपरांत भौतिक कक्षा में शिक्षण	26 से 28 अगस्त, 2019 तक	आईआईबीएफ, पीडीसी, चेन्नै

वित्तीय सेवाओं में जोखिम पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम हेतु परीक्षोंपरांत भौतिक कक्षा में शिक्षण	26 से 28 अगस्त, 2019 तक	आईआईबीएफ, पीडीसी, उत्तर भारत अंचल
"तुलन्पटर वचन एवं अनुपात विश्लेषण" पर कार्यक्रम	30 से 31 अगस्त, 2019 तक	आईआईबीएफ, पीडीसी, चेन्नै

संस्थान समाचार

वार्षिक साधारण सभा

संस्थान की 92वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन 23 अगस्त, 2019 को अपरान्ह 4.00 बजे सम्मेलन कक्ष, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फ़ाइनैन्स, मेकर टावर, एफ विंग, 19वीं मंजिल, कफ़ परेड, मुंबई -400 005 में किया जाएगा।

दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) 2016 पर एक-दिवसीय कार्यशाला

अपनी सदस्य शिक्षण योजना शृंखला के एक अंग के रूप में संस्थान 6 सितंबर, 2019 को टैगोर चैम्बर, स्कोप काम्प्लेक्स, 7 लोधी मार्ग, नई दिल्ली -110 003 में दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) 2016 पर एक-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। इस अवसर के लिए मुख्य अतिथि हैं भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (IBBI) के अध्यक्ष डा॰ एम॰ एस॰ साहू। जो उक्त कार्यशाला में भाग लेने के इच्छुक हों, उन सहभागियों द्वारा 1,000 रुपए के नाममात्र शुल्क का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

आत्म-समगामी ई-शिक्षण (SPeL) पाठ्यक्रम

संस्थान को अपने दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों-यथा डिजिटल बैंकिंग और बैंकिंग में नैतिकता के लिए आत्म-समगामी (self-paced) ई-शिक्षण पाठ्यक्रमों की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। इस आत्म-समगामी ई-शिक्षण का उद्देश्य बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्रों में नियोजित व्यावसायिकों को एक अधिक सहायक प्रशिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना है। आत्म-समगामी ई-शिक्षण विधि में अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु पंजीकरण कराने, स्वयम अपनी गति

से सीखने और अंत में स्वयम अपने स्थान से परीक्षा में शामिल होने की सुविधा प्राप्त होगी। उक्त दोनों पाठ्यक्रमों के लिए आनलाइन पंजीकरण 9 अप्रैल, 2019 से प्रारम्भ हो गए हैं। अधिक विवरण के लिए कृपया लिंक http://www.iibf.org.in/documents/SPeLnotice.pdf **देखें।**

8वें उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (AMP) की शुरूआत

संस्थान बैंकिंग/वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों एवं कार्यपालकों के लिए उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (AMP**) नामक एक प्रबंधन कार्यक्रम का संचालन करता है। सत्रों का संचालन इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फ़ाइनैन्स के कुर्ला, मुंबई स्थित लीडरशिप सेंटर में किया जाता है तथा इनका आयोजन सप्ताहांत में/बैंक अवकाश के दिन किया जाता है। 8वें बैच की शुरूआत जुलाई, 2019 से की जाएगी। अधिक विवरण के लिए कृपया** www.iibf.org.in **देखें।**

कारबार संपर्कियों (BCs) का अनिवार्य प्रमाणन

दिनांक 3 अक्तूबर, 2018 की अपनी अधिसूचना के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी कारबार संपर्कियों के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा समयोचितता के साथ प्रमाणित किया जाना अनिवार्य कर दिया है। यह कार्य स्तरों में एकरूपता और
कारबार संपर्कियों की एक बैंक से दूसरे बैंक में किसी अडचन के बिना भावी सचलता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। कारबार संपर्की प्रमाणन हेतु समय-सरणियाँ निर्धारित कर दी गई हैं। कारबार संपर्की प्रमाणन की आवश्यकता पूरी करने हेतु उक्त परीक्षा संचालित करने के लिए तीन भिन्न-भिन्न माडल तैयार किए गए हैं।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स भुगतान बैंकों के कारबार समपरकियों के लिए भी एकमात्र प्रमाणन एजेंसी होगा। संस्थान द्वारा इन बैंकों के लिए अलग से एक प्रमाणपत्र परीक्षा तैयार की गई है।

बैंकों में क्षमता निर्माण

संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिज्ञात परिचालन के चार मुख्य क्षेत्रों, यथा खजाना प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, लेखांकन और ऋण प्रबंधन में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। ये
पाठ्यक्रम आनलाइन परीक्षा के साथ प्रकृति की दृष्टि से मिश्रित हैं जिसके बाद उनमें ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिन्होंने आनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ को संबोधित तथा प्रति इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैंस को पृष्ठांकित दिनांक 31 मई, 2017 के अपने पत्र के तहत यह कहा है कि भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ के सहयोग से इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला विदेशी मुद्रा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ऐसे सभी बैंक कर्मचारियों, जो खजाना परिचालन सहित विदेशी मुद्रा परिचालन के क्षेत्र में कार्यरत है या कार्य करने के इच्छुक हैं, के लिए एक अनिवार्य प्रमाणन होगा। कृपया परीक्षा हेतु पंजीकरण और अधिक विवरण के लिए वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा में समाधान

संस्थान ने प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा वाली विधि के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित करने हेतु एक साफ्टवेयर अभिगृहीत किया है। यह साफ्टवेयर गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी लाये बिना संस्थान को प्रशिक्षार्थियों की काफी बड़ी संख्या तक प्रशिक्षण सामग्री प्रसारित करने में समर्थ बनाएगा। वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण भी आरंभ कर दिया गया है। अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

परीक्षा के लिए छद्म जांच सुविधा

संस्थान अपने प्रमुख पाठ्यक्रमों यथा जेएआईआईबी और सीएआईआईबी के अलावा अपने तीन विशिष्टीकृत पाठ्यक्रमों नामत: प्रमाणित खजाना व्यावसायिक, प्रमाणित
ऋण व्यावसायिक तथा वित्तीय सेवाओं में जोखिम के लिए छद्म जक्ष्च की सुविधा प्रदान कर रहा है। अब छद्म जांच में किसी भी बैंक का कर्मचारी शामिल हो सकता है।

वीडियो व्याख्यान अब यूट्यूब पर उपलब्ध

संस्थान द्वारा जेएआईआईबी के तीन अनिवार्य प्रश्नपत्रों और सीएआईआईबी के दो अनिवार्य प्रश्नपत्रों के लिए प्रदान की जाने वाली वीडियो व्याख्यान की सुविधा संस्थान के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी। उसके लिए लिंक है https:/ www.youtube.com/channel/UCjfflktvEh8yLb3vwxosGow/playlists"

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुएं

जुलाई -सितंबर, 2019 के बैंक क्वेस्ट के अंक के लिए अभिज्ञात विषय-वस्तु है: "बैंकिंग में उभरते प्रौद्योगिकीय परिवर्तन"

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) **संस्थान द्वारा फरवरी, 2019 से जुलाई, 2019 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसंबर, 2018 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।**

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2019 से जनवरी, 2020 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2019 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

प्रशिक्षण

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स वाणिज्यिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सहकारी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अधिकरियों के लिए विभिन्न विषयों तथा क्षेत्रों के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करता है।

सदस्यों से अनुरीढ़ है की वे संस्थान के पास मौजूद अपने ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

ऋण प्रबंधन
ऋण मूल्यांकन
ऋण निगरानी
वसूली प्रबंधन
उन्नत ऋण मूल्यांकन
एकीकृत खजाना प्रबंधन
खुदरा बैंकिंग
आवास वित्त
जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा

सामान्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

शाखा प्रबन्धकों का कार्यक्रम
हानि वहन करने वाली शाखाओं के लिए
कायापलट रणनीतियाँ
प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम
अपने ग्राहक को जानिए/धन-शोधन निवारण/ आतंकवाद की रोकथाम
अनुपालन
बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम

अनुभवी एवं अर्हताप्राप्त संकाय सदस्य - प्रशिक्षु -उन्मुख पद्धति
शिक्षण को प्रोत्साहित करने वाला वातावरण

चेन्नै, नयी दिल्ली और कोलकाता स्थित व्यावसायिक विकास केन्द्रों में प्रशिक्षण सुविधाएं
बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित आवश्यकतानुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

कृपया और अधिक विवरण के लिए इनसे संपर्क करें :
डा. टी. सी. जी. नंबूदिरी, निदेशक (प्रशिक्षण)
ईमेल: drnamboodiri@iibf.org.in
फोन : 022 25037119; सेल +91 99203 78486 इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग अथवा एंड फाइनैन्स (आईआईबीएफ)
कारपोरेट कार्यालय, 3री
सुश्री रविता वाधवा, उप निदेशक-प्रशिक्षण मंजिल, कोहिनूर सिटी
फोन +91-22-25047112; सेल +9198718 99953 कमर्शियल ई टावर-ई, मुंबई ईमेल ravita@iibf.org.in **-400 070, भारत**
www.iibf.org.in

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या 69228/1998 **के अधीन पंजीकृत**

बाजार की ख़बरें

भारित औसत मांग दरें

6.4
6.2
6
5.8
5.6
5.4
5.2

फरवरी, 2019, मार्च, 2019, अप्रैल, 2019, मई, 2019, जून, 2019,जुलाई, 2019
स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम न्यूजलेटर, जुलाई, 2019

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

95
90
85 **अमरीकी डालर**
80 **जीबीपी**
75 **यूरो**

फरवरी, 2019, मार्च, 2019, मई, 2019, जून, 2019, जुलाई, 2019
स्रोत : फाइनैन्सियल बेंचमार्क बोर्ड आफ इंडिया लिमिटेड (FBIL)

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

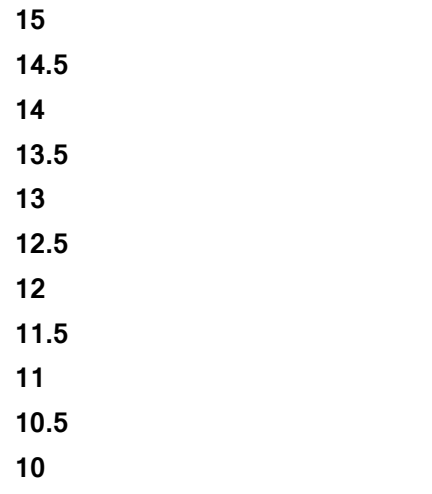

जनवरी, 2019, फरवरी, 2019, मार्च, 2019, अप्रैल, 2019, मई, 2019, जून, 2019
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जुलाई, 2019

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

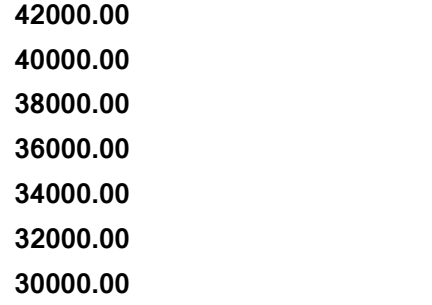

फरवरी, 2019, मार्च, 2019, अप्रैल, 2019, मई, 2019, जून, 2019, जुलाई, 2019
स्रोत : बंबई शेयर बाजार (B S E)

समग्र जमा वृद्धि %

11
10
9
8
7
6
5

दिसंबर, 2018, जनवरी, 2019, फरवरी, 2019, मार्च, 2019, अप्रैल, 2019, मई, 2019, जून, 2019
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जुलाई, 2019

डा. जे. एन. मिश्र द्वारा मुद्रित, डा. जे. एन. मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डा. जे. एन. मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विजन अगस्त, 2019